# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

**पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.**

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट ढिगावडा)

वाद संख्या :— 02/180/2014

<u>किशनप्यारी बनाम गुड्डी वगैरा</u>

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 12.06.2018

Web Copy - Not Official

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट ढिगावडा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 11.07.2014 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 146, 147, 10, 284, 306, 307, 308, 316, 321 वाके ग्राम चन्दूपुरा व खसरा नम्बर 305 व 145 वाके ग्राम चन्दूपुरा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 05.09.2014 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी की प्रार्थी के हिस्से तक मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये परन्तु प्रार्थीगण की ओर से उक्त आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की गई है। प्रकरण वर्ष 2014 से तामील नोटिस की कार्यवाही में विचाराधीन चल रहा है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा तामील की पालना नहीं किए जाने से प्रकरण का निस्तारण नहीं हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार योग्य नहीं है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 146, 147, 10, 284, 306, 307, 308, 316, 321 वाके ग्राम चन्दूपुरा व खसरा नम्बर 305 व 145 वाके ग्राम चन्दूपुरा तहसील राजगढ प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की तामील की पालना नहीं कराये जाने के कारण अस्वीकार किया जाकर इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 11.07.2014 का प्रचलन निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 12.06.2018 कैम्प कोर्ट ढिगावडा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट ढिगावडा)